218

जिला सैक्टर योजना 2012–13 (पूंजीगत चालू योजना)
संख्या– 621 /XV-1/12/1(8)/11

प्रेषक,

आर०सी० पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 18 जुलाई, 2012

विषयः अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4403 –पशुपालन आयोजनागत योजनाओं में वर्ष 2012–13 हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–916/नि०–5/एक(14)भ०नि०सा०/2012–13 दिनांक 11 जून, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला योजना के अन्तर्गत नये पशुचिकित्सालयों व पशु सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण योजनान्तर्गत **₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	जारी स्वीकृति
1	नैनीताल	36.22
2	ऊधमसिंहनगर	12.79
3	अल्मोड़ा	2.62
4	बागेश्वर	9.76
5	पिथौरागढ़	27.60
6	चम्पावत	19.57
7	देहरादून	20.45
8	पौड़ी	22.29
9	टिहरी	2.26
10	चमोली	5.15
11	रूद्रप्रयाग	22.45
12	उत्तरकाशी	8.62
13	हरिद्वार	10.22
योग		**200.00**

(1) आगणन में उल्लिखित जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति/अनुमोदन नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त किया जाय।

(2) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(4) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकि दृष्टि से पूर्ण करते हुए कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्ठयों के अनुरूप ही सम्पादित कराया जाय।

(5) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य कर लें एवं निरीक्षण के पश्चात निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाये।

(6) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जायें।

(7) निमार्ण सामाग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी शासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये तथा तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जायें व कार्य प्रारम्भ करने में देरी यदि हो, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की जाय।

(8) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(9) धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों का तथा कय संबंधी शासनादेशों में दी गई व्यवस्था व स्टोर परचेज नियमावली का पालन किया जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4403 –पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–101–पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य–91–जिला योजना–9101–पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का भवन निर्माण–24–बृहद निर्माण कार्य के अंतर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–32(P)/XXVII(4) दिनांक 05 जुलाई, 2012 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर०सी० पाठक)
सचिव

संख्या– 621 (1)/XV-1/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, पशुपालन को उनके पत्र दिनांक 11 जून, 2012 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून को वैवसाईट में डालने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव